न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 38/2023

श्री पोखर पुत्र रूकमा जाति मीणा निवासी चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 21.12.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

आराजी खाता संख्या नया 24 पुराना 28 के ख.नं. 1015, 1775, 1876, 352, 642 कुल किता 5 कुल रकबा 2.8076 हैक्टर वाके ग्राम अरनियामाल पटवार हल्का अरनियामाल, भू.अ.नि.क्षेत्र अरनियामाल, तहसील टोंक खाता संख्या नया 24 पुराना 28 जमाबंदी सम्वतः 2071 से 2074 जो कि प्रार्थी के मामा की आराजी मे से माता के द्वारा उक्त आराजी नर्बदा पुत्री माता रूकमा पत्नि गोरधन हिस्सा 1/8 व रूपनारायण पुत्र माता रूकमा पत्नि गोरधन हिस्सा 1/8 खातेदारी मे दर्ज की गयी है। उक्त नामान्तकरण की सम्पूर्ण पत्रावल की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक को पत्र कमांक 1013 दिनांक 31.10.2023, 1063 दिनांक 16.11.2023, 1090 दिनांक 30.11.2023 व 1149 दिनांक 11.12.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोंक द्वारा पत्र कमांकः 12129 दिनांक 14.12.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 8245 दिनांक 21.07.2023 से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
(राजस्थान)